

सं० सं० 14/एम 11-1/16
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डा. आजाद हिन्द प्रसाद
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

निदेशक,
आस्था लोक हॉस्पिटल,
प्रोफेसर कालोनी, नीयर केन्द्रीय विद्यालय
कंकड़बाग, पटना 20

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 27.7.16 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	रीता देवी पति-केवल यादव ग्राम-कादीपुर पो०-नागरा थाना-खैरा जिला-सारण	हिप रिपलेस्मेंट	₹ 1,40,000/- (एक लाख चालीस हजार) स्वीकृत।
2	संजय तिवारी पिता-रामानन्द तिवारी ग्राम-मीरगंज पो०-आरा थाना-टाउन जिला-भोजपुर	नी रिपलेस्मेंट	₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) स्वीकृत।
3	मोहन शर्मा पिता-दयाल शर्मा ग्राम-पो०-मिर्जापुर थाना-मढौरा जिला-सारण	नी रिपलेस्मेंट	₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) स्वीकृत।
4	रामा शंकर राय पिता-स्व. जीवन राय ग्राम-पलीया पो०-नगरी थाना-चरपोखरी जिला-भोजपुर	नी रिपलेस्मेंट	₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 5,90,000/-

21/8/16

2. उक्त अनुदान की कुल राशि 5,90,000/- (पांच लाख नब्बे हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 388098 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 50200006844472 खाता धारक का नाम—“आस्था लोक अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर प्रा० लि०” खाते का प्रकार—चालु, बैंक का नाम— एच० डी० एफ० सी० बैंक, शाखा का नाम पत्रकार नगर, पटना, RTGS/IFSC कोड सं० HDFC0000477 में अंतरित किया जाता है।
3. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, तथा अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
4. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डा. आजाद हिन्द प्रसाद)
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 388098 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह०/-

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक 1136(14)

पटना, दिनांक 05.08.16

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
21/08/16

सं० सं०- 14/एम 11-1/16
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार,पटना

प्रेषक

डा. आजाद हिन्द प्रसाद
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

निदेशक,

एस.एस. हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर,
मलाही पकड़ी, कंकड़बाग पटना 20

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 20.7.16 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	मो० सफीक बैठा पिता-मोसदीर मियां ग्राम-बेरुआडीह पो०-बरियारपुर थाना-सकरा जिला-मुजफ्फरपुर	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
2	अमरेन्द्र कुमार पिता-स्व. वासुदेव यादव ग्राम-गमरहो पो०-मैनाग्राम थाना-महीषी, जिला-सहरसा	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
3	नीलम देवी पति-नवल किशोर सिंह ग्राम-मैनाचातर पो०-सेवे, थाना-चन्द्रद्वीप जिला-जमुई	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
4	अनुराधा देवी पति-श्री राजेन्द्र प्रसाद ग्राम-पो०-सोनमई थाना-धनरूआ जिला-पटना	कैंसर रोग	अंतिम बार ₹ 30,000/- (तीस हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 2,10,000/-

2. उक्त अनुदानों की कुल राशि ₹ 2,10,000/- (दो लाख दस हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं० 388085 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 5020 418 8262 खाता धारक का नाम-"निदेशक, एस०एस० हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर कंकड़बाग, पटना-20" खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-इलाहाबाद बैंक, शाखा का नाम-हनुमान नगर, कंकड़बाग, पटना, RTGS/IFSC कोड सं० ALLA0212980 में अंतरित किया जाता है।

20/11/17
29/11/17

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डा. आजाद हिन्द प्रसाद)
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 388085 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह0/-


निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

1109 (14)

पटना, दिनांक 01.08.16

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
21.08.16

सं० सं०- 14/एम 11-1/16
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार,पटना

प्रेषक

डा. आजाद हिन्द प्रसाद
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

निदेशक,

एस.एस. हौस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर,
मलाही पकड़ी, कंकड़बाग पटना 20

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 27.7.16 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	उमदा देवी पति-जनार्दन सिंह ग्राम-पो०-मुकुन्दपुर भाथ थाना-जन्दाहा जिला-वैशाली	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
2	नीलम देवी पति-शिवनाथ साव ग्राम-नीयर विकलांग भवन अस्पताल, पो०-लोहियानगर थाना-कंकड़बाग, जिला-पटना	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
3	मंजु देवी पति-सुनील कुमार ग्राम-पो०-बड़ी छरियारी थाना-थरथरी जिला-नालंदा	कैंसर रोग	₹ 80,000/- (अस्सी हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 2,00,000/-

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,00,000/- (दो लाख) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं० 388085 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्सफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 5020 418 8262 खाता धारक का नाम-"निदेशक, एस०एस० हौस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर कंकड़बाग, पटना-20" खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- इलाहाबाद बैंक, शाखा का नाम - हनुमान नगर, कंकड़बाग, पटना, RTGS/IFSC कोड सं० ALLA0212980 में अंतरित किया जाता है।

21/11/13
प/शा/

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डा. आजाद हिन्द प्रसाद)
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 388085 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।


ह0/-

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक 1137(14)

पटना, दिनांक 05.08.16

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
डा. हिन्द

सं० सं० 14/एम 11-1/16
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डा. आजाद हिन्द प्रसाद
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

निदेशक

जीवक हार्ट अस्पताल एवं शोध संस्थान प्रा० लि०
कंकड़बाग, पटना-20

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 20.7.16 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	मीना देवी पति-बिजेन्द्र सिंह ग्राम-नया गांव पूर्वी पो०-नयागंज थाना-देसरी, जिला-वैशाली	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
2	उर्मिला देवी पति-रमेश सिंह ग्राम-पो०-डुमरी बुजुर्ग थाना-नया गांव जिला-सारण	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
3	चन्द्रदेव प्रसाद पिता-स्व. लाला प्रसाद ग्राम-विरवाना पो०-दोसुत थाना-बेना जिला-नालंदा	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
4	रेणु देवी पति-शिव शंकर प्रसाद साह ग्राम-पो०-महीसारी थाना-उजियारपुर जिला-समस्तीपुर	हृदय रोग	₹ 45,000/- (पैंतालीस हजार) स्वीकृत।
5	उपेन्द्र राय पिता-स्व. बाबु लाल राय ग्राम-सैदपुर पो०-रहीमपुर थाना-सोनपुर जिला-सारण	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।

29/7/16

6	राजेन्द्र बैठा पिता-सुबरन बैठा ग्राम-पोखरैरा पो0-गिधा, थाना-सरैया जिला-मुजफ्फरपुर	हृदय रोग	₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) स्वीकृत।
7	विकास कुमार पिता-कृष्ण देव प्रसाद ग्राम-सादीकपुर पो0-कोशी, थाना-रूपो जिला-नवादा	हृदय रोग	₹ 1,60,000/- (एक लाख साठ हजार) स्वीकृत।
8	इन्दु देवी पति-देव नाथ साह ग्राम+पो0-कंश दियर थाना-डोरीगंज जिला-सारण	हृदय रोग	₹ 45,000/- (पैंतालीस हजार) स्वीकृत।
9	अखिलेश्वर प्रसाद सिंह पिता-स्व0 बैजनाथ सिंह ग्राम-कोइला पो0-थाना-दरियापुर जिला-सारण	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
10	अकलीया खातुन पति-मो0 अबरूल अली ग्राम-पो0-नारायणपुर थाना-विहपुर जिला-भागलपुर	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 11,50,000/-

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 11,50,000/- (ग्यारह लाख पचास हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" चालु खाता सं0 30121380424, एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 388086 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 165902000000041 खाता धारक का नाम-"निदेशक, जीवक हार्ट अस्पताल एवं शोध संस्थान प्रा0 लि0 कंकड़बाग, पटना" खाते का प्रकार- चालु, बैंक का नाम-इन्डियन ओवरसीज बैंक, शाखा का नाम-कंकड़बाग, पटना(1659) RTGS/IFSC कोड सं0 IOBA 0001659 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

20/11/13
29/11/10

विश्वासभाजन

ह0/-

(डा. आजाद हिन्द प्रसाद)
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डा. आजाद हिन्द प्रसाद)
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 388077 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त की कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह0/-

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक 1108(14)

पटना, दिनांक 01.08.16

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/सभी संबंधित मरीजों को/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
21.08.16

सं० सं० 14/एम 11-1/16
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डा. आजाद हिन्द प्रसाद
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
सेवा में,
निदेशक,
हार्ट हॉस्पिटल लिमिटेड (चन्द्रालय)
कंकड़बाग, पटना-20

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।
महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 20.7.16 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्र० सं०	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	सरोज देवी पति-त्रिभुवन प्रसाद सिंह ग्राम-पो०-पानापुर करीयात थाना-कांटी जिला-मुजफ्फरपुर	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
2	रामाशीष भारती पिता-देव लाल भगत ग्राम-न्यु ऐरिया बिसार तालाब थाना-सिविल लाईन पो०-जिला-गया	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
3	लालजी प्रसाद सिन्हा पिता-शिव ध्यान शरण ग्राम-सखरा रघुनाथपुर पो०-जैन्तपुर थाना-पारु जिला-मुजफ्फरपुर	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 3,75,000/-

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 3,75,000/- (तीन लाख पचहतर हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" चालु खाता सं० 30121380424, एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं० 388077..... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 30002849889 खाता धारक का नाम-"HEART HOSPITAL LTD. कंकड़बाग पटना 20" खाते का प्रकार- चालु, बैंक का नाम-एस० बी० आई०, शाखा का नाम.....RTGS/IFSC कोड सं० SBIN 0004445 में अंतरित किया जाता है।

21/11/16
29/11/16

सं० सं० 14/एम 11-1/16
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डा. आजाद हिन्द प्रसाद
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
सेवा में,
निदेशक,
आल इंडिया इंस्टीच्युट आ० मेडिकल साइंस,
फुलवारीशरीफ, पटना 801505

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।
महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 20.7.16 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	सोना देवी पति-नारायण प्रसाद ग्राम-पो०+थाना-सहार जिला-भोजपुर, आरा	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
2	अनिला देवी पति-जय नन्द महतो ग्राम-रहुआ पो०-बभनगामा थाना+जिला-खगड़िया	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 1,20,000/-

- उक्त अनुदान की कुल राशि 1,20,000/- (एक लाख बीस हजार) मात्र का क्रास चेक सं०..... मूल रूप में संलग्न है।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, तथा अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम/अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डा. आजाद हिन्द प्रसाद)
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक 1107(14)

पटना, दिनांक 01.08.16

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / सभी संबंधित मरीज / आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
20/1/16

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं०...388087...की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह0/-

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक 1110 (14)

पटना, दिनांक 01.08.16

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / श्री जग नारायण सिंह यादव पूर्व सदस्य पिछड़ा वर्ग के लिए राज्य आयोग पता-भी-1, आफिसर्स पलैट न्यु पुनाईचक पटना / आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग / सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
21.1.16

29	हीरामणी देवी पति-बाबु चन्द भगत ग्राम-रवना धरमपुर पो0-रवना थाना-बेलागंज जिला-गया सीआरनं0-66660/16	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 16,55,000/-

- उक्त अनुदान की कुल राशि 16,55,000/- (सोलह लाख पचपन हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 388087 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० **503 2011 9556** खाता धारक का नाम-“निदेशक, इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान सं० शेखपुरा पटना 800014 “ खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- इलाहाबाद बैंक, शाखा का नाम - पटना, RTGS/IFSC कोड सं० ALLA0212284 में अंतरित किया जाता है।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, तथा अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- आपके संस्थान को स्वीकृत राशि ससमय उपलब्ध हो जाती है। संस्थान द्वारा मरीजों से स्वीकृत्यादेश की प्रति मांगी जाती है, जो कि अनावश्यक एवं चिन्ता जनक है। रोगी का नाम एवं पंजीकरण सं० मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ की जा सकती है। स्वीकृत्यादेश की प्रति अपने नोटिस बोर्ड/वार्ड में दर्शाया जाय। यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि हो या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय।

मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख आपके द्वारा दिये जानेवाले उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है, परंतु आपके द्वारा ऐसा नहीं किया जा रहा है। इससे वित्तीय अनियमितता की संभावना उत्पन्न हो सकती है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय, बार-बार प्राक्कलन निर्गत नहीं किया जाय। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी आपकी होगी।



विश्वासभाजन

ह०/-

(डा. आजाद हिन्द प्रसाद)
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

21	रईसा खातुन पति-सरफुददीन ग्राम-बुरहान नगर गढ पो0+थाना-इस्लामपुर जिला-नालंदा सीआरनं0-41091 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 /-(साठ हजार) स्वीकृत।
22	घनश्याम मंडल पिता-स्व0 जयकान्त मंडल ग्राम-पाही पो0-सरीसवपाही थाना-पंडौल, जिला-मधुबनी सीआरनं0-44299 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 /-(साठ हजार) स्वीकृत।
23	कृष्णा प्रसाद पिता-सीता राम गोप ग्राम-रामजीचक दीघा यादवगली, पो0-बाटागंज थाना-दीघा जिला-पटना सीआरनं0-84051 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 /-(साठ हजार) स्वीकृत।
24	नितेश कुमार पिता-मुरारी कुमार झा ग्राम-मनीका, पो0-अख्तियारपुर थाना-सराय रंजन जिला-समस्तीपुर पंजी / ओ.पीडी / 5243 / 16	हृदय रोग	₹ 85,000 /-(पचासी हजार) स्वीकृत।
25	कमलेश्वरी साह पति-बासो साह ग्राम+पो0-खुटहा थाना-मोरकाही जिला खगड़िया सीआरनं0-95715 / 16	कैंसर रोग	₹ 50,000 /-(पचास हजार) स्वीकृत।
26	राजदेव साह पिता-स्व. बलीराम साह ग्राम-शाहपुर पो0-थाना-सोनपुर जिला सारण सीआरनं0-45684 / 16	कैंसर रोग	₹ 50,000 /-(पचास हजार) स्वीकृत।
27	सुनीता देवी पति-विजय पासवान ग्राम+पो0-चौदपुर भंगहा थाना-जानकी नगर जिला-पूर्णिया सीआरनं0-97739 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 /-(साठ हजार) स्वीकृत।
28	श्याम नारायण सिंह पिता-स्व. राम एकबाल सिंह ग्राम-पो0-धारूपुर थाना-विक्रमगंज जिला-रोहतास सीआरनं0-ई 4280 / 16	किडनी रोग	₹ 50,000 /-(पचास हजार) स्वीकृत।

29/7/17

14	सायरा खातुन पति-स्व. अब्दुल रशीद ग्राम-बाकरगंज मोहरमपुर पो0-बांकीपुर थाना-पीरबहोर जिला-पटना सीआरनं0-77729 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत।
15	रंजीत पासवान पिता-जागेश्वर पासवान ग्राम-आदर्श नगर पो0-उलाव थाना-मुफसिल जिला-बेगुसराय सीआरनं0 70394 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत।
16	महेन्द्र साह पिता-स्व. राम लगन साह ग्राम-पो0-माधोपुर थाना-मुसहरी जिला-मुजफ्फरपुर सीआरनं0-24516 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत।
17	हसबुल खातुन पति-मो0 जलील ग्राम-कसेरा पोखर वार्ड नं0-4 पो0+थाना+जिला-मधुबनी सीआरनं0-80534 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत।
18	मो0 मुन्ना कुरैशी पिता-मो0 चोंद कुरैशी ग्राम-मैनपुरा पो0-दानापुर कैट थाना-दानापुर जिला-पटना सीआरनं0-91835 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत।
19	मंजु रानी पति-दिनेश सिंह ग्राम-मंगरवा टोला कोयरी बीगहा, पो0-फुरहुरीया थाना-परैया जिला-गया सीआरनं0-80221 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत।
20	रत्ना देवी पति-शालीग्राम सिंह ग्राम-अरावा पो0-परवलपुर थाना-वेन जिला-नालंदा सीआरनं0-78314 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत।

29/7/16

6	देवनाथ साह पिता-स्व.रामानन्द प्रसाद साह ग्राम-पो0-बखरी थाना-पताही जिला-पूर्वी चम्पारण सीआरनं0-80901/16	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
7	गिरजा देवी पति-जादो लाल साह ग्राम-पो0-मुरला थाना-रामगढ़वा जिला-पूर्वी चम्पारण पंजी/ओ.पी0डी/084598/14	कैंसर रोग	अंतिम बार ₹ 20,000/- (बीस हजार) स्वीकृत।
8	जिया लाल महतो पिता-रामानन्द महतो ग्राम-पो0-भदवर थाना-चौदी जिला-भोजपुर सीआरनं0-92697/16	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
9	रामचन्द्र यादव पिता-स्व. टेका यादव ग्राम-ढिबर टोला नीमादोहर पो0-टिबर, थाना-फतेहपुर जिला-गया सीआरनं0-100503/16	हृदय रोग	₹ 50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत।
10	शोयबा खातुन पति-मो0 अमीम ग्राम-उदयगंज पो0-थाना-अम्बा जिला-औरंगाबाद सीआरनं0-90317/16	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
11	सुरज पासवान पिता-नगीना पासवान ग्राम-खंड सरीया पो0-दामोदरपुर बलधा थाना-नगर नौसा जिला-नालंदा सीआरनं0-65400/16	आँत रोग	₹ 30,000/- (तीस हजार) स्वीकृत।
12	बसंती देवी पति-अभिमन्यु कुमार ग्राम+पो0-दुधीयवा थाना-नवलपुर जिला-प0 चम्पारण सीआरनं0-75814/16	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
13	लक्ष्मी देवी पति-राम नरेश वर्मा ग्राम-न्यु कालोनी सिमली छोटी मंदिर, पटना सिटी, पो0-माधव मिल्स थाना-मालसलामी, जिला-पटना सीआरनं0-51603/16	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।

21/11/20

सं० सं० 14/एम 11-1/16
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डा. आजाद हिन्द प्रसाद
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

निदेशक/अधीक्षक
इन्दिरा गांधी आर्युविज्ञान संस्थान,
शेखपुरा, पटना-14 ।

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 20.7.16 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	शिव कुमारी देवी पति-बैजू प्रसाद ग्राम+पो0-बहकुरा थाना-बिहटा जिला-पटना सीआरनं0-037028 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 /-(साठ हजार) स्वीकृत।
2	शंभु दास पिता-स्व. मानकी दास ग्राम-पो0-जनकपुर थाना-उजियारपुर जिला-समस्तीपुर सीआरनं0-77340 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 /-(साठ हजार) स्वीकृत।
3	मो० शमशाद पिता-मो० सुलेमान ग्राम+पो0-सादपुर थाना-साहेबपुर कमाल जिला-बेगुसराय सीआरनं0-95092 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 /-(साठ हजार) स्वीकृत।
4	रतिया देवी पति-सिंघेश्वर गोसाई ग्राम+पो0-भुतही थाना-सोनवर्षा जिला-सीतामढ़ी सीआरनं0-93549 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 /-(साठ हजार) स्वीकृत।
5	हुलास ठाकुर पिता-चन्दर ठाकुर ग्राम-पो0-पतलुका थाना-बाराचट्टी, जिला-गया सीआरनं0-62285 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 /-(साठ हजार) स्वीकृत।

29/7/16

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डा. आजाद हिन्द प्रसाद)
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 388282.....की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह0/-

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

1106(14)

पटना, दिनांक

01.08.16

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/सभी संबंधित मरीजों को/आई.टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
21.08.16

6	विपिन कुमार पिता-नरेश सिंह ग्राम-बेगमपुर नथाचक पो0-थाना+जिला-नालंदा	स्पाईनल सर्जरी	₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) स्वीकृत।
7	शारदा देवी पति-स्व. रामाशीष गोप ग्राम+पो0-मोरा तालाब थाना-रहुई जिला-नालंदा	ब्रेन सर्जरी रोग	₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) स्वीकृत।
8	बोये लाल यादव पिता-प्रभु यादव ग्राम-बाघमारा पो0-सुघराईन थाना-कुशेश्वर स्थान जिला-दरभंगा	ब्रेन सर्जरी रोग	₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) स्वीकृत।
9	विनय कुमार पिता-महेन्द्र राम ग्राम-जमुना जी की मठ पो0-झाउगंज थाना-चौक, जिला-पटना	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
10	सोनिया देवी पति-राजीव कुमार ग्राम-परसोबीगहा पो0+थाना-बरबीघा जिला-शेखपुरा	हृदय रोग	₹ 70,000/- (सतर हजार) स्वीकृत।
11	पिंकी कुमारी पिता-शिव नारायण उरॉव ग्राम+पो0+थाना-भीमपुर जिला-सुपौल	हृदय रोग	₹ 48,000/- (अड़तालीस हजार) स्वीकृत।
12	सरिता कुमारी पति-अजय कुमार ग्राम-पो0-फुलाड़ी थाना-संदेश जिला-भोजपुर	हृदय रोग	₹ 48,000/- (अड़तालीस हजार) स्वीकृत।
13	चन्द्रदेव राम पिता-स्व. रामवृक्ष राम ग्राम-पो0-खंजाहाचक थाना-लालगंज जिला-वैशाली	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 12,91,000/-

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 12,91,000/- (बारह लाख एकानवे हजार) मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 388087.....द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 31792937290, खाता धारक का नाम- फोर्ड हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर प्रा० लिमिटेड, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा का नाम-हनुमान नगर पटना, RTGS/IFSC कोड सं० SBIN0009005 में अंतरित किया जाता है।

सं० सं० 14/एम 11-1/16

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ

बिहार, पटना

प्रेषक

डा. आजाद हिन्द प्रसाद
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

निदेशक/अधीक्षक

फोर्ड हॉस्पिटल, एडं रिसर्च सेंटर (प्रा०) लि०

रामकृष्णा नगर, पटना, 800027

पटना, दिनांक.....

विषय:— मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 20.7.16 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	कृष्ण मुरारी कुमार पिता—रामजी तांती ग्राम—चकदिवान पो०—थाना+जिला—शेखपुरा	प्लास्टिक एवं बोन सर्जरी	₹ 1,00,000 /—(एक लाख) स्वीकृत।
2	सुधा देवी पति—मनोज कुमार शर्मा ग्राम—जाफरा पो०—श्रीपुर थाना—बेलागंज जिला—गया	यूटरस रोग	₹ 25,000 /—(पच्चीस हजार) स्वीकृत।
3	अविनाश प्रसाद पिता—राधो प्रसाद ग्राम—चौरासी पो०—महानन्दपुर थाना—नगर नौसा जिला—नालंदा	हर्निया रोग	₹ 25,000 /—(पच्चीस हजार) स्वीकृत।
4	दिलिप कुमार चक्रवर्ती पिता—स्व. बुधन महतो ग्राम—पो०—नानन्द थाना—सिलाव जिला नालंदा	हृदय रोग	₹ 1,25,000 /—(एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
5	बिहारी शर्मा पिता—स्व. हुलास शर्मा ग्राम—महादेव बीगहा पो०—सकरौडा थाना—नुर सराय जिला—नालंदा	स्पाईनल सर्जरी रोग	₹ 1,50,000 /—(एक लाख पचास हजार) स्वीकृत।

29/7/16

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 388086 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह०/-


निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

1111(14)

पटना, दिनांक 01-08-16

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / सभी संबंधित मरीजों का/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
21.08.16